भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2568

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत लंबित मजदूरी

2568. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत बहुत समय से लंबित मजदूरी राशि के संबंध में तमिलनाडु सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री द्वारा जनवरी 2025 में किया गया पत्राचार भी शामिल है, जिसमें 2024 के अंत से लगभग 1,635 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान नहीं किए जाने की बात कही गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इन निधियों को जारी करने में देरी के क्या कारण हैं और प्रभावित श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ग) तमिलनाडु के संबंध में वर्तमान में लंबित मनरेगा मजदूरी और भौतिक देनदारियों की कुल राशि कितनी है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा इन बकाया राशि का भुगतान करने और राज्य में ग्रामीण श्रमिकों के लिए निर्बाध मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा प्रस्तावित की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग-आधारित मजदूरी रोज़गार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। इस योजना के तहत, मज़दूरी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातों में किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से

प्राप्त निधि अंतरण आदेशों के आधार पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा दैनिक रूप से मजदूरी भुगतान के लिए स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की स्वीकार्य लंबित देनदारियां, यदि कोई हो, की भारत सरकार द्वारा नियमानुसार प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक की सभी देय और स्वीकार्य मजदूरी देनदारियां (पश्चिम बंगाल राज्य के मामले को छोड़कर) की भुगतान पहले ही कर दी गई हैं।
मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लंबित मजदूरी बकाया के संबंध में तमिलनाडु सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मजदूरी घटक के लिए तमिलनाडु को 5,984.03 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्री और प्रशासनिक घटकों के लिए भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। केंद्र सरकार समय-समय पर दो खेपों में निधियां जारी करती है, जिसमें प्रत्येक खेप में एक या अधिक किस्तें होती हैं। यह सब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा "सहमत" लेबर बजट, कार्यों की मांग, शेष राशि, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियां, समग्र निष्पादन और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आधार पर होता है।

इस योजना के तहत, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (11.12.2025 की स्थिति के अनुसार), तमिलनाडु को 6,497.06 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं, जिसमें मजदूरी घटक के लिए 5,836.20 करोड़ रुपये और सामग्री और प्रशासन के लिए 660.86 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। चूंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निधि अंतरण आदेश प्राप्त होने के बाद पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से मंत्रालय द्वारा नियत प्रक्रियाओं के अनुपालन उपरांत दैनिक आधार पर मजदूरी के भुगतान की स्वीकृति जारी की जाती है निधि जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अद्यतन होती रहती है।

(ग) और (घ): 10.12.2025 तक, तमिलनाडु राज्य के सबंधं में मज़दूरी भुगतान की कुल लंबित देनदारियां 304.8 करोड़ रुपये है और सामग्री घटक के लिए 622.21 करोड़ रुपये की लंबित देनदारियां है। केंद्र सरकार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राज्य को स्वीकार्य बकाया देनदारियां जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।